भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : 105
28 जून, 2019 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एच 1 एन 1 वायरस के मामले

*105. एडवोकेट अदूर प्रकाशः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने को कृपा करगे किः

(क) क्या विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से हाल ही म एच 1 एन 1 वायरस के मामलों को सूचना मिली है;
(ख) यदि हां, तो इस वष के दौरान सूचित मामलों को संख्या तथा हुई मौतों को संख्या राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है; और
(ग) इस रोग से निपटने हेतु किये गये/किये जाने हेतु प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ग): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

f□□□□ 28 □□, 2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न □.□105 □□ □त□□ □' □□ले□□□□ □□□□□

(क) और (ख): जी, हां। 2019 म, 23.06.2019 तक मौसमी इन्फ्लुएंजा (एच1एन1) के कारण देश म कुल 26,140 मामले आए और 1,076 मौत हुई ह। 2019 म मौसमी इन्फ्लुएंजा ए (एच1एन1)/ स्वाइन फ्लू को सूचित मामलों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या और मौतों को दशाने वाला सारणीबद्ध विवरण □□□ग्न□ म है।

(ग): संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, स्वास्थ्य राज्य का विषय है और स्वास्थ्य संबंधी मामलों को प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को है। तथापि, कद्र सरकार मौसमी इन्फ्लुएंजा को स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित संपक म है और मौसमी इन्फ्लुएंजा (एच1एन1) को नियंत्रित और प्रबंधित करने के लिए कई उपाय किए ह, जो निम्नानुसार ह:

i. कद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा दिनांक 25.04.2018 और 16.10.2018 को, कद्रीय स्वास्थ्य सचिव द्वारा दिनांक 06.02.2019 को तथा केन्द्रीय अपर सचिव (स्वास्थ्य) के स्तर पर दिनांक 21.01.2019 को स्थिति को समीक्षा को गई।
ii. ज्यादा मामलों को सूचना वाले राज्यों म एच1एन1 के लिए नोडल अधिकारियों के साथ नियमित वीडियो सम्मेलन आयोजित किए जाते ह और नियमित रूप से तैयारियों को समीक्षा को जाती है। कद्रीय सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुख सचिवों के साथ वीडियो सम्मेलन दिनांक 17.10.2018, 25.10.2018 और 11.02.2019 को आयोजित किए गए।
iii. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचएस) को अध्यक्षता म संयुक्त निगरानी समूह (जेएमजी) द्वारा मौसमी इन्फ्लुएंजा को स्थिति को भी नियमित रूप से समीक्षा को जाती है। जेएमसी को अंतिम बैठक दिनांक 12.06.2019 को आयोजित को गई थी।
iv. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों/कद्रशासित प्रदेशों के लिए मरीजों को श्रेणी, उपचार प्रोटोकॉल और वटिलेटरी प्रबंधन पर दिशानिदश प्रदान किए ह, जो मंत्रालय को वेबसाइट (www.mohfw.nic.in) और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीडीसी) को को वेबसाइट (ncdc.gov.in) पर भी उपलब्ध ह। राज्य सरकारों को एच1एन1 के मामलों से निपटने वाले स्वास्थ्य देखभाल कमियों के टीकाकरण के लिए भी सलाह दी गई है।
v. सभी राज्यों को राज्य बजट से मौसमी इन्फ्लूएंजा ए (एच1एन1) के प्रबंधन के लिए आवश्यक रसद को खरीद को पूरा करने को सलाह दी गई है। हालांकि, राज्यों म संकट के दौरान, भारत सरकार रसद (ड्रग्स, पीपीई किट, एन-95 फेस मास्क) को आपूर्ति कर रही है। वष 2019 म, भारत सरकार ने बिहार, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, मेघालय, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ को रसद को आपूर्ति को है।

vi. स्थिति का आकलन करने और मामलों म वृद्धि के प्रति राज्यों को प्रतिक्रिया को मजबूत बनाने म सहायता करने के लिए वष 2019 म राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, और उत्तराखंड म एक सावजनिक स्वास्थ्य टीम को तैनाती को गई थी।

vii. मौसमी इन्फ्लूएंजा ए (एच1एन1) को तैयारी के लिए समय-समय पर सलाह जारी को गई। प्रमुख प्रभावित राज्यों को 13.03.2019 को अंतिम सलाह जारी को गई थी।

viii. एकोकृत रोग निगरानी कायक्रम (आईडीएसपी) और इसको राज्य इकाइयों ने इंफ़्लुएंज़ा जैसी बीमारी (आईएलआई) और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण (एसएआरआई) के लिए निगरानी म वृद्धि को है।

ix. वष 2018 के दौरान, मई और जून, 2018 के महीनों म गंभीर रूप से बीमार इन्फ्लूएंजा रोगियों के प्रबंधन और वेंटिलेटर प्रबंधन पर प्रशिक्षण के 3 बैच आयोजित किए गए थे, जिसम 102 प्रतिभागियों के साथ 14 राज्य शामिल थे।

x. आईईसी सामग्री अथात आम जनता के लिए मौसमी फ़्लू के बारे म जानकारी ग्राफिक्स को सभी राज्यों के साथ दिनांक 05.10.2018 को साझा किया गया था। ऑडियो स्पॉट सहित अन्य आईईसी सामग्री वष 2015 से ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को वेबसाइट पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, एकोकृत रोग निगरानी कायक्रम (आईडीएसपी) को सहायता से 12 प्रयोगशालाओं का लैब नेटवक परीक्षण, गुणवत्ता आश्वासन, मागदशन, वायरल परिवहन माध्यमों और नैदानिक रिएजटों के रूप म प्रयोगशाला सहायता प्रदान कर रहा है। नैदानिक नमूनों (6 प्रयोगशालाएं आईडीएसपी और आईसीएमआर दोनों के लिए साझा ह) का परीक्षण करने के लिए 41 से अधिक वायरस अनुसंधान नैदानिक प्रयोगशालाओं (वीआरडीएल) के माध्यम से भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा नैदानिक क्षमता को मजबूत बनाया गया है।

****

[illegible]ग[illegible]

[illegible] 2019 [illegible] [illegible]न्फ[illegible] ([illegible]1[illegible]1) [illegible]ज[illegible]/[illegible] [illegible]ज[illegible] क्षेत्र-[illegible] [illegible]/[illegible]त[illegible] (23.06.2019 [illegible]ो [illegible]स्[illegible] [illegible])			
क्र.[illegible]	[illegible]ज[illegible]/[illegible] [illegible]ज[illegible] क्षेत्र	[illegible]	[illegible]त[illegible]
1	अंडमान और निकोबार	0	0
2	आंध्र प्रदेश	309	13
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0
4	असम	45	1
5	बिहार	51	1
6	चंडीगढ़	54	3
7	छत्तीसगढ़	144	28
8	दादरा और नगर हवेली	6	2
9	दमन और दीव	8	1
10	दिल्ली	3,573	31
11	गोवा	95	2
12	गुजरात	4,772	149
13	हरियाणा	1,033	16
14	हिमाचल प्रदेश	333	41
15	जम्मू और कश्मीर	438	27
16	झारखंड	74	4
17	कनाटक $	1,736	87
18	केरल	593	22
19	लक्षद्वीप	0	0
20	मध्य प्रदेश	653	146
21	महाराष्ट्र	1,692	189
22	मणिपुर	0	0
23	मेघालय	0	0
24	मिजोरम	0	0
25	नगालड	0	0
26	ओडिशा	203	5
27	पुदुच्चेरी	9	0
28	पंजाब	534	31
29	राजस्थान	5,021	205
30	सिक्किम	8	0
31	तमिलनाडु	410	2
32	तेलंगाना	1,215	20
33	त्रिपुरा	31	0
34	उत्तराखंड	243	6
35	उत्तर प्रदेश	1,972	25
36	पश्चिम बंगाल#	885	19
[illegible]		26,140	1,076

$- 20.06.2019 को स्थिति के अनुसार, # - 21.04.2019 को स्थिति के अनुसार

****